महीने। ऐसे लिए प्रावधान करना भी आवश्यक है . सदस्य भी "

(3) अब अब हम उपरोक्त संदर्भ में देखें> • कानून के इतिहास में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, कानून में पेंशन के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि निर्धारित करने का स्पष्ट इरादा था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम द्वारा परिकल्पित विधान सभा का पूर्ण कार्यकाल संविधान आयोग द्वारा पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि, अधिनियम के कामकाज ने इस तथ्य को सामने लाया कि विधानसभाओं को कभी-कभी अगले आम चुनावों के प्रयोजनों के लिए पांच साल की अवधि से थोड़ा पहले भंग कर दिया जाता है। 1979 का संशोधनमुख्य रूप से उन सदस्यों के मामलों के लिए आवश्यक था, जिन्होंने विधान सभा के पांच साल के पूरे कार्यकाल के लिए वस्तुतः सेवा की थी, लेकिन तीन महीने की मामूली कमी थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1 ए) को केवल इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था और निम्नलिखित के मामलों में इसकी कोई प्रासंगिकता या अनुप्रयोग नहीं है: ऐसे सदस्य जिन्होंने दो कार्यकाल या उससे अधिक समय तक विधान सभा में सेवा की हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1 ए) से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए, रिट याचिका पूरी तरह से मेरिट के बिना है और इसे लिमिन में खारिज किया जाना चाहिए । लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.के.एस.

जी. सी. मित्तल और आई. एस. तिवाना, जे.जे. से पहले।

सुंदर सिंह और अन्य, **याचिकाकर्ता**

बनाम

हरयानए और अन्य की स्थिति, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1983 **का** 3284।

21 सितंबर, 1983।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) **हरियाणा राज्य पर लागू** - धारा 5 और 13-0 - **हरियाणा** ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 - नियम 6 से 13, 18, 21, 29, 35 और 43 - **भारत का संविधान** 1950 - **अनुच्छेद** 226 - **ग्राम पंचायत** के **चुनाव** - धारा 5 को नियमों के साथ पढ़ा जाता है - क्या नियमों **के साथ** पढ़ा **जाता है** - **क्या आरक्षण की परिकल्पना की गई है।**

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र या सीट - अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें - चुनाव लड़ने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या के बराबर है - ऐसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार - जिन्हें निर्वाचित घोषित किया जाना है या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के साथ चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना है **-गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्याअनुसूचित जाति के उम्मीदवार उनके लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के समान है - ऐसे उम्मीदवार - क्या चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए बिना निर्वाचित घोषित किया जा सकता** है - **रिटर्निंग अधिकारी - उपायुक्त द्वारा घोषित** चुनाव परिणाम - क्या नियम 43 के तहत **परिणाम को पूरी तरह से या आंशिक रूप से संशोधित करने की शक्ति है - अवैध चुनाव - क्या चुनाव याचिका के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के बाद दायर रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती** है।

और रूप पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के प्रावधानों, विशेष रूप से हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 की धारा 5 और नियम 6 से 13 को पढ़ने पर, केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी संविधान का कोई आरक्षण नहीं है।तुम्हाराअनुसूचित जातियों के लिए सीट। धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (सी) में प्रावधान है कि यदि आवश्यक संख्या में सफल कैंडीतारीखों में अनुसूचित जाति के एक या दो सदस्य शामिल नहीं हैं, फिर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार या उम्मीदवार शामिल हैं।अपने बीच से सबसे अधिक वोटों की संख्या का इलाज करना, अंतिम, या अंतिम दो पंचों के रूप में चुना गया माना जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के सदस्यों की अपेक्षित संख्या इस तरह से नहीं चुनी जाती है, तो परंतुक के आधार पर (घ) £ धारा E5 की उप-धारा (4) के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को अवज्ञा करनी होती है।ऐसी जातियों के विधिवत योग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित करके दक्षता। इसलिए, धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (सी) और (डी) में यह प्रावधान है किकम से कम एक या दो अनुसूचित जाति के पंच होने चाहिए और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो अनुसूचित जाति के पंच हो सकते हैं और अधिक नहीं। यदि सफल उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या में अनुसूचित जातियों के एक या दो सदस्य शामिल नहीं हैं, तो ऐसी संख्या क्या है?च अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुना जाना है जिन्होंने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं और यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, तो अनुसूचित जाति के पंचों की अपेक्षित संख्या को नामांकित किया जाना चाहिए।धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (डी) के अनुसार। इसलिए, न्यूनतम सीमा तय की गई है और अधिकतम नहीं। यदि सफल उम्मीदवारों की सभी आवश्यक संख्या अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या से अधिक शामिल हैं, तोहेन परंतुक (सी) और (डी) परिचालन में नहीं आएंगे।

नियम ***10,*** 12, 13, 18 और 21 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 5 (4) से पता चलता है कि पंचों की चुनाव प्रक्रिया एक है और यदि नामांकन पत्र चुने जाने वाले पंचों की संख्या से अधिक हैं, तो नियम 10 और उसके बाद के नियमों के तहत प्रदान की गई चुनाव की प्रक्रिया, इसका पालन किया जाना चाहिए

(पैरा 13 और: 14)।

अलग-अलग चुनाव चिह्नों का आवंटन,अलग-अलग मतपेटियों को हटाना आदि।

कानून निर्माताओं का इरादा था कि अनुसूचित जाति का चुनाव गैर-अनुसूचित जाति के चुनाव से अलग हो।

Scheduled जाति पंचों को तो नियम 21 को अलग तरीके से कहा जाता. यह विशेष रूप से सिद्धकिया गया होगा कि पंचों के पदों के चुनाव के लिए, प्रत्येक मतदाता दो गैर-हस्तांतरणीय मतपत्रों का हकदार होगा - एक गैर-अनुसूचित जाति पंच के पक्ष में और दूसरा अनुसूचित जाति पंच के पक्ष में। इससे उनके इस निष्कर्ष को और बल मिलता है कि पंचों के पदों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया अविभाज्य है। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के एक या दो पंच चुने जाने हैं। वे अपेक्षित संख्या से अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के कुल नामांकन पत्र, सीटों की अपेक्षित संख्या से अधिक हैं, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। निर्वाचन अधिकारी एक पंच या दो पंचों को निर्विरोध अनुसूचित जाति का उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता जब एक या दो अनुसूचित जाति के पंच मैदान में रह जाते हैं। इसी तरह, निर्वाचन अधिकारी शेष गैर-अनुसूचित जाति के पंचों को चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित नहीं कर सकता है क्योंकि गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उन सीटों से अधिक नहीं थे जिन्हें उनके पास जाने के लिए माना गया था। नियम 13 के अनुसार, उम्मीदवारों की कुल संख्या कोअनुसूचितजाति और गैर-अनुसूचित जातियों की सीटों पर आवंटित किए बिना देखा जाना चाहिए। इसलिए, यह माना जाता है कि पूरा चुनाव एक है और यदि दोनों श्रेणियों के सामूहिक रूप से उम्मीदवारों की कुल संख्या सीटों की अपेक्षित संख्या से अधिक है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा और परिणाम घोषित करते समय यदि यह पाया जाता है कि एक या दो अनुसूचित जाति के पंचों सहित सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले पंचों की अपेक्षित संख्या है, फिर सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक या दो अनुसूचित जाति के पंच सफल उम्मीदवारों में नहीं आते हैं, जिसने भी सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं, उसे अनुसूचित जाति के पंचों की न्यूनतम संख्या बनाने के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, तो अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दायर किए जाने के लिए पंचों के कार्यालयों की अपेक्षित संख्या को खाली छोड़ना होगा।

(के लिए)17)

माना कि चुनाव को चुनौती देने का उचित उपाय सीमा की अवधि के भीतर चुनाव याचिका दायर करना है। यदि हार जाते हैं, तो उम्मीदवार या मतदाता चुनाव परिणाम को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुनते हैं और इसे अंतिम बनने की अनुमति देते हैं, फिर बाद में सीमा की समाप्ति पर, पीड़ित व्यक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती देने का विकल्प नहीं होगा।

के

द्वारा

चुनाव याचिका दायर करना। इसलिए, यदि कोई पराजित उम्मीदवारचुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की समाप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में आता है, तो वह इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा। तथापि, उपर्युक्त मामलों में, रिट याचिकाओं पर निर्वाचन याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा के भीतर विचार किया जा सकता है और संबंधित पक्ष को चुनाव या याचिका के लिए प्रेरित करने के बजाय उसके अधिकार क्षेत्र में राहत दी जा सकती है। (सेवा 20)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226/227* के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि : –

(क) 15 **जुलाई,** 1983 को **होने** वाले **शपथ ग्रहण समारोह** पर **रोक लगाई जाए।**

(ii) **उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस से छूट दी जा सकती है।**

(iii) **मामले का रिकॉर्ड मंगाया जाए।**

याचिकाकर्ता की ओर से मधु तेवतिया, वकील।

निजी उत्तरदाताओं की ओर से बी.एस.पवार, ए.ए.जी.हरियाणा, एच.एल.सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ताआर.एल.सरीन, एम.एम.एस.बेदी, अधिवक्ता।

निर्णय

(1) इन सभी रिट्टिशन याचिकाओं में निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ पर कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा, समान प्रावधानों को विभिन्न उपायुक्तों और विभिन्न रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा और इसी तरह उम्मीदवारों और मतदाताओं द्वारा अलग-अलग व्याख्या या समझा गया है। इसके कारण इस न्यायालय द्वारा सभी संबंधित ों के मार्गदर्शन के लिए संबंधित कानून की व्याख्या करना आवश्यक हो गया है:-

(2) क्या हरियाणा में यथा संशोधित पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 5 को हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाता है, जिसमेंनियम 6 से 13, 18, 21, 23, 29 और 35 के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या सीट के आरक्षण की परिकल्पना की गई है। क्या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अलग चुनाव की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक सीट अनुसूचित जाति के लिए जानी चाहिए?

जाति का उम्मीदवार और यदि केवल एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है, तो चाहे वह चुनाव में शामिल होना हो, अर्थात, प्रतीकों के आवंटन की प्रक्रिया, उसके लिए एक अलग मतपेटी लगाना; क्या इस पर विचार किया जा सकता है औरक्या उन्हें चुनाव चिह्न और अलग मतपेटी आवंटित किए बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है? इसी तरह, यदि चुने जाने वाले कुल पंच पांच हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार या उससे अधिक हैं, लेकिन चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, तो क्या चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को बिना चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है या उन्हें भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना होगा, यानी, अलग-अलग सिमबोल, अलग मतपेटियां आदि आवंटित करके?

(3) क्या नियमों के नियम 43 के तहत, डिप्टी कमिश्नर कोरिटर्निंग ऑफिसर द्वारा घोषित चुनाव के परिणाम को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बदलने का अधिकार है?

(4) चुनावों को अवैध मानते हुए, क्या चुनाव याचिका भरने के लिए निर्धारित सीमा से परे दायर रिट याचिका में इसे रद्द किया जा सकता है?

(2) पहले दो मुद्दे हमारे समक्ष इसलिए उठे हैं क्योंकि विभिन्न उपायुक्तों ने अधिनियम और नियमों के उपबंधों के बारे में भिन्न-भिन्न विचार रखे हैं औरनियमों के नियम 43 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप करने में भिन्न-भिन्न कार्य किया है। इसी प्रकार, विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों ने इस बारे में अलग-अलग विचार रखे हैं और विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं का पालन किया है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा।

I. C.W.P. No. 1983 **का** 3284।

(3) इस रिट याचिका में कुल आठ पंचों का चुनाव किया जाना था जिनमें से दो अनुसूचित जाति के पंच होने थे। 15 नामांकन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से संबंधित था, दो नामांकन पत्रअनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से संबंधित थे। अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था और शेष 13 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ था। रिट याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा के भीतर दायर की गई है।

II. सी.डब्ल्यू.पी. 1983 **का** 3611।

(4) इस रिट याचिका में नाम वापसी के बाद अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार मैदान में रह गया था। चूंकि एक अनुसूची होनी चाहिए थी

जाति पंच, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल किए बिना, यानी उनके लिए एक अलग मतपेटी लगाए बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। पंचों की शेष सीटों के लिए शेष गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच चुनाव आयोजित किया गया था। इस मामले में,चुनाव याचिका भरने के लिए प्रदान की गई सीमा से परे इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है।

(5) 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 3509 के तथ्य 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3611 के तथ्यों के समान हैं, अर्थात्, दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुना जाना था और चूंकि क्षेत्र में केवल दो अनुसूचित जाति केउम्मीदवार थे, इसलिए उन्हें चुनाव में उनकी वास्तविक भागीदारी के बिना निर्वाचित घोषित किया गया था। यह रिट याचिका इस न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा से परे दायर की गई है।

III. 1983 **का** सी.डब्ल्यू.पी. 3563.

(6) इस रिट याचिका में कुल पांच पंचों का चुनाव किया जाना था जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। चार अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार थे। चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को बिना किसी चुनाव के निर्वाचित घोषित किया गया था और उनके बीच से एक अनुसूचित जाति पंच को चुनने के लिए चार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच चुनाव आयोजित किया गया था और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिले थे, उसे निर्वाचित घोषित किया गया था। चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की समाप्ति के बाद, उपायुक्त ने नियमों के नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूरे चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया।

1983 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3960 में भी इसी तरह के तथ्य हैं।

IV. **सी.डब्ल्यू.पी.** 1983 **का** 3355।

(7) इस रिट याचिका में, कुल चार पंचों का चुनाव किया जाना था, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच के बाद छह उम्मीदवार बचे थे। सभी छह उम्मीदवार अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उनमें से तीन ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र नहीं भरे थे। शेष तीन उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र भरे थे। अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने नामांकन फॉर्म नहीं भरे थे, को तीन गैर-अनुसूचित जाति सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। यह चुनाव शेष तीन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने नामांकन फॉर्म भरे थे।

सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार कोचौथे निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। उपायुक्त ने नियमों के नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे चुनाव को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले छह उम्मीदवारों के बीच नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए । यह आदेश चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की समाप्ति से पहले पारित किया गया था।

1983 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3403 में भी इसी तरह के तथ्य हैं।

वी.सी.डब्ल्यू.पी. 1983 **का** 3665।

(8) इस रिट याचिका में कुल पांच पंचों का चुनाव होना था, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होना ज़रूरी था। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवार और गैर अनुसूचित जाति के चार उम्मीदवार मैदान में रह गए। हालांकि रिट याचिका में यह कहा गया है कि गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच कोई चुनाव नहीं हुआ था और वे खुली श्रेणी की सीटों के खिलाफ चुने गए थे और यह चुनाव अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों के बीच उनमें से एक को चुनने के लिए हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए चुनाव परिणाम से, हमने पाया कि सभी * छह उम्मीदवारों के लिए मतपेटियां रखी गई थीं और सभी छह उम्मीदवारों के लिए मतदान आयोजित किया गया था। अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों को क्रमशः 374 और 295 मत मिले जिनमें से 374 मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को डी निर्वाचित घोषित किया गया जबकि शेष गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 24, 18, 12 और 10 मत मिले और इन सभी चार व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की सीट के अलावा अन्य सीटों के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं के कथन से एक बात स्पष्ट है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह बताया गया था कि चूंकि चार सामान्य सीटों के लिए चार उम्मीदवार थे, इसलिए, उन्हें चुना जाना है और यही कारण है कि मतदाताओं का बड़ा बहुमत केवल दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए मतदान करने में केंद्रित है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद उपायुक्त ने नियमों के नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 295 मत प्राप्त करने वाले पराजित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया और निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम को संशोधित/बदलने/रद्द करने के बाद 10 मत प्राप्त करने वाले गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पराजित घोषित कर दिया। उपायुक्त नेचुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की समाप्ति से पहले आदेश पारित किया।

VI. ***C.W.P.*** 1983 **का** 3862।

(9) 1983 के सीडब्ल्यूपी 3862 में, पांच पंचों को चुना जाना था, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इस मामले में नौ उन्दी,पांच गैर-अनुसूचित जाति और चार अनुसूचित जाति के बीच चुनाव हुआ था। निर्वाचन अधिकारी ने अनुसूचित जाति के उन उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जिन्हें 99 मत प्राप्त हुए थे। निर्वाचन अधिकारी ने चार गैर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भी निर्वाचित घोषित किया जिन्हें 170, 138, 106

और 52 मत मिले थे। लछमन गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार थे, जिन्हें 52 वोट मिले थे और उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार रूप राम को 64 मत मिले थे और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें इस आधार पर पराजित घोषित कर दिया था कि अनुसूचित जाति के केवल एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाना है और उससे अधिक नहीं। उपायुक्त ने नियमों के नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप किया और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार रूप राम को विधिवत निर्वाचित घोषित किया और लछमन को पराजित घोषित कर दिया। उपायुक्त ने चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की समाप्ति से पहले आदेश पारित किया।

7. **सी.डब्ल्यू.पी. नहीं।** 1983 **का** 3420।

(10) 1983 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3420 में छह पंचों को चुना जाना था, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होने थे। मतगणना के बाद, रिटर्निंग अधिकारी ने गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की घोषणा की और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों मेंसबसे अधिक वोट हासिल करने वाले अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया और परिणाम उपायुक्त को भेज दिया। उसी दिन, बाद में, उन्होंने पाया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बिट सिंह, जिन्हें पराजित घोषित किया गया था, ने 135 वोट हासिल किए थे, जबकि अंतिम गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार थे।
निर्वाचित घोषित प्रेम ने 112 मत प्राप्त किए थे और यह मानते हुए कि अनुसूचित जाति-के न्यूनतम उम्मीदवारों को दो मत प्राप्त करने होंगे और यह विचार करते हुए कि अनुसूचित जाति के केवल दो उम्मीदवारों को निर्वाचित होना है, उन्होंने उसी दिन एक और चुनाव परिणाम तैयार किया और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बीर सिंह को निर्वाचित घोषित किया और गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार प्रेम को पराजित घोषित कर दिया और यह परिणाम भेज दिया।उपायुक्त के लिए। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समय प्रेम को नहीं बल्कि बीर सिंह को शपथ दिलाई गई। प्रेम ने चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा के भीतर रिट याचिका दायर की है।

(viii) **सी.डब्ल्यू.पी.** 1983 **का** 3542।

(11) इस याचिका मेंअनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार सहित कुल पांच पंचों को चुना जाना था। मैदान में सात गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार थे। निर्वाचन अधिकारी ने अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया, जिसने दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से अधिक वोट हासिल किए और चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया, जिन्होंने गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट हासिल किए थे। बाद में, उपायुक्त ने चुनाव के परिणाम को संशोधित किया और दूसरे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया, जिसने 69 वोट हासिल किए थे और चौथे उम्मीदवार (गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार) को पराजित घोषित किया था, जिसने 41 वोट हासिल किए थे और जिसे रिटर्नी एनजी अधिकारी द्वारा गलत तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया था। इस मामले की विशिष्ट बातों पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में, सबसे

अधिक वोट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए थे, जिन्हें रीटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था और दूसरा सबसे अधिक वोट दूसरे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा पराजित घोषित किया गया था और शेष सभी चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, जिन्हें रिटर्निंग ऑफ फिकर द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था, ने अनुसूचित जाति के दोनों उम्मीदवारों से कम वोट हासिल किए थे। यह आदेश उपायुक्त द्वारा चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर पारित किया गया था।

(12) उपर्युक्त तथ्यों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से विभिन्न उपायुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचारों का पता चलता है और इसलिए, उन्हें हल किया जाना चाहिए ताकि जब भी भविष्य में अधिनियम और नियमों के वर्तमान प्रावधानों पर चुनाव आयोजित किया जाए, तो अधिकारियों या मतदाताओं और उम्मीदवारों को कोई भ्रम न हो । अधिनियम के संगत प्रावधान, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं -

"एस.5. ग्राम पंचायत की स्थापना और गठन-

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत स्थापित कर सकती है।

(2) ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचों की ऐसी संख्या होगी जिसमें सरपंच भी शामिल होगा जो कम से कम न हो।

पांच या नौ से अधिक जो सरकार सभा क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे और ऐसे पंचों और सरपंचों का निर्वाचन सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्धारित रीति से किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई महिला किसी ग्राम पंचायत की पंच के रूप में निर्वाचित नहीं होती है, तो सभा की एक महिला सदस्य, जो इस प्रकार निर्वाचित होने के योग्य है, को पंचायत द्वारा विहित रीति से पंच के रूप में सह-चुना जाएगा।

(3) उपधारा (2) के परंतुक के तहत पंच के रूप में सहयोजित प्रत्येक महिला को ग्राम पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।

(4) चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और निर्धारिततरीके से गंभीर मतदान होगा और सबसे अधिक वैध वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या को निर्वाचित माना जाएगा:

बशर्ते कि 25 जनवरी, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए।

(a) उपखंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों का एक पंच होगा यदि उनकी जनसंख्या संबंधित सभा क्षेत्र की जनसंख्या का पांच प्रतिशत या उससे अधिक है;

(b) सात या उससे अधिक पंचों वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो पंच

होंगेजो अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं यदि उनकी जनसंख्या संबंधित सभा क्षेत्र की जनसंख्या का दस प्रतिशत या उससे अधिक है;

(c) यदि सफल उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या में अनुसूचित जातियों के एक या दो सदस्य शामिल नहीं हैं, जैसाकि हो सकता है, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार या उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, अपने बीच से सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले को अंतिम, या अंतिम दो पंच के रूप में निर्वाचित माना जाएगा;

(d) यदिअनुसूचित जातियों के सदस्यों के उपखंड (क) और (ख) में दी गई स्थल संख्या का चुनाव ऊपर दिए गए तरीके से नहीं किया जाता है, तो

विहित प्राधिकारी ऐसी जातियों के विधिवत योग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित करके कमी को पूरा करेगा;

बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति उस समय मौजूद ग्राम पंचायत के गठन को प्रभावित नहीं करेगी;

परन्तु यदि सरकार की यह राय है कि किसी विशेष ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों की नाराजगी निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए अपनाई गई जनसंख्या का आधार गलत है,जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जातियों से संबंधित पंचों की अपेक्षित संख्या निर्वाचित नहीं होती है, तो सरकार आवश्यक संख्या में ग्राम पंचायतों को नामित कर सकती है।योग्य व्यक्ति या ऐसी जातियों के व्यक्ति अतिरिक्त पंच ों के रूप में, और ऐसे नामांकन किए जाने पर उपधारा (2) के तहत निर्धारित पंचों की संख्या को इस प्रकार नामित पंचों की संख्या से बढ़ाया हुआ माना जाएगा। इसप्रकार बढ़ाए गए पंचों की संख्या और उनके कार्यकाल का संबंधित ग्राम पंचायत के अगले चुनाव के बाद कोई प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जब उस ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या उपधारा(2) के तहत नए सिरे से निर्धारित की जाएगी।

11. चूक के मामलों में नियुक्तियां- यदि किसी कारण से, अपेक्षित संख्या में पंच निर्वाचित नहीं होते हैं, तो निर्धारित प्राधिकारी इस तरह के चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों में से नामांकन द्वारा कमी को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार नामित पंच के पद का कार्यकाल निर्वाचित पंचों के कार्यकाल के समान होगा।

"13-बी चुनाव याचिकाएं। इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा किसी सरपंच या पंच के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

"13-सी. याचिकाओं की प्रस्तुति। (1) सभा का कोई सदस्य, निर्धारित प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित में से किसमें कर सकेगा

निर्धारित तरीके से, -

(a) जहां 12 अगस्त, 1960 के बाद और 27 सितंबर, 1962 से पहले, बाद की तारीख के तीस दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किए गए थे ; या

(b) जहां 27 सितंबर, 1962 के बाद परिणाम की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किया जाता है;

धारा 13-0 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक पर निर्धारित प्राधिकारी को सरपंच या पंच के रूप में किसी भी व्यक्ति के चुनाव के खिलाफ लिखित में चुनाव याचिका पेश करना।

(c) -0. **चुनाव को रद्द करने का आधार।** (1) यदि पूर्व-लिखितप्राधिकारी की राय है: -

(a) कि निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं था या अयोग्य घोषित कर दिया गया था; या

(b) कि निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट की सहमति से कोई भ्रष्ट अभ्यास किया गया है; नहीं तो

(c) कि किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकारकर दिया गया है; या

(d) कि जहां तक निर्वाचित व्यक्ति का संबंध है, चुनाव के परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं-

(i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से; नहीं तो

(ii) किसी भी वोट के अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट के स्वागत के द्वारा जो शून्य है; या

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का अनुपालन न करने पर, विहित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को निरस्त कर देगा;

(2) जब उप-धारा (1) के तहत एक चुनाव को रद्द कर दिया गया है, तो एक स्वतंत्रचुनाव आयोजित किया जाएगा।

(1) ऐसे आधार जिनके लिए लौटाए गए उम्मीदवार के अलावा अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। एक

याचिकाकर्ता एक घोषणा का दावा कर सकता है कि सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों का चुनाव शून्य है, एक घोषणा का दावा करता है कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित किया गया है।

(3) यदि किसी याचिकाकर्ता ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक अतिरिक्त घोषणा का दावा किया है और निर्धारित प्राधिकारी की राय है कि वास्तव में याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को शून्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है, तो वह वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने के बाद, याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को घोषित करेगा, जैसा भी मामला हो, विधिवत रूप से चुना गया था।

"13-वी **अपील।**(1) धारा 13-एन के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई पक्षकार ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

(5) एक अतिरिक्तन्यायाधीश केवल ऐसी अपीलों की सुनवाई करेगा जो जिला न्यायाधीश उसे सौंपते हैं।

"13-वी (4)। पहले के आदेश XLI में निहित नियम। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची जहां तक हो सके, इस धारा के तहत दायर अपील ों पर लागू हों।

नियमों के संगत उपबंध ों को भी नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है -

(6) चुनाव कार्यक्रम। (1) उपायुक्त निम्नलिखित के लिए तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए एक चुनाव कार्यक्रम तैयार करेगा-

(1) नामांकन पत्र दाखिल करना;

(11) नामांकन पत्रों की जांच;

(111)नामांकन पत्र ों की वापसी;

(112)................................यदि आवश्यक हो, तो मतदान करना; "

"4. प्रतीकों का नामांकन। निदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से; आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतीकों की एक सूची प्रकाशित करें और इसी तरह से ऐसी सूची में जोड़ या भिन्न कर सकते हैं।

6. उम्मीदवारों का नामांकन। (1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत अयोग्य नहीं है, खुद को सरपंच या पंच के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित कर सकता है: बशर्ते

किनियम 3 के तहत निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर, वह व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में भरा हुआ नामांकन पत्र प्रदान करे।

"6 (2) प्रत्येक उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म 1 में एक अलग नामांकन पत्र पर किया जाएगा औरनामांकन के लिए सहमति देते समय उम्मीदवार द्वारा स्वयं इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(3) अनुसूचित जाति के सदस्य के नामांकन पत्र के साथ मजिस्ट्रेट, कानूनगो, पटवारी, लंबरदार, या स्थानीय प्राधिकरण या हरियाणा राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा सत्यापित एक घोषणा पत्र भी होना चाहिएकि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसमें उस विशेष जाति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिससे उम्मीदवार संबंधित है।

"7. जमा। (1) नियम 6 के उपबंधों के अधीन नाम-निर्देशित प्रत्येक उम्मीदवार, अपने नामांकन पत्र की सुपुर्दगी के समय या उससे पहले, 50 रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में 20 रुपये की राशि कोषागार में या तो जमा करेगा या जमा करेगा।

. उप-कोषागार या स्थानीय लंबरदार या रिटर्निंग अधिकारी के पास और कोषागार या उप-कोषागार से या लंबरदार, या रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रसीद, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करें, और किसी भी उम्मीदवार को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी जमा जमा न की गई हो।

10. प्रतीकों का आवंटन। निर्वाचन अधिकारी, नामांकन पत्र ों को तैयार करने के लिएनिर्धारित समय की समाप्ति पर,सरपंच और पंचों के कार्यालयों के लिए प्रत्येक वैध रूप से नामित उम्मीदवार (इसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कहा जाता है) को चुनाव चिन्होंकी अनुमोदित सूची में से एक प्रतीक चिन्ह आवंटित करेगा।

11. पोस्ट किए जाने वाले नामांकनों की सूची। निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को प्रतीक आवंटित किए जाने के तुरंत बाद, अपने कैंप कार्यालय के बाहर चिपकाकर दो अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, सरपंच और पंच के कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की वर्णानुक्रम में दो अलग-अलग सूचियां तैयार करेंगे और प्रकाशित करेंगे, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ उसे आवंटित प्रतीक होगा।

12. प्रक्रिया तब अपनाई जानी चाहिए जब उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर या कम हो। (1) निर्वाचन अधिकारी, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वैधता के लिए नामित उम्मीदवार को निर्वाचित समझेगा और घोषित करेगा, यदि-

(a) सरपंच के पद के लिए केवल एक वैध रूप से नामित उम्मीदवार है; नहीं तो

(b) पंचों के पद के लिए वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की संख्या पंचों की भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर या उससे कम है।

(2) यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है, तो रिटर्निंग अधिकारीनिर्वाचित उम्मीदवारों की एक सूची निदेशक के साथ-साथ उपायुक्त को एक रिपोर्ट के साथ सौंपेगा, जिसमें खाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट होगी।

13. **यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या से अधिक है तो चुनाव लिया जाएगा।**यदि किसी सभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस क्षेत्र के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है, तो चुनाव के लिए इस संबंध में नियम 3 के तहत निर्दिष्ट तारीख को मतदान किया जाएगा।

"18. **बैलेट-बॉक्स।**प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट-बॉक्स प्रदान किया जाएगा और उसे आवंटित प्रतीक मतपेटियों के अंदर और बाहर दोनों जगह चिपकाया जाएगा। बैलेट बॉक्स पर उम्मीदवार के नाम के साथ चिह्नित किया जाएगा और यदि सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो पी ओलिंग स्टेशन की संख्या के साथ इसकाउपयोग किया जाना है।

"21. **मतदान व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए न कि प्रॉक्सी द्वारा।**मतदान मतपत्र द्वारा किया जाएगा और अपना मत दर्ज करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसा करेगा न कि प्रॉक्सी के माध्यम से मतपत्र के माध्यम से जो मतदाता को प्रदान किया जाएगा, जिसमें एक क्रम संख्या और ऐसा आधिकारिक चिह्न, यदि कोई हो, होगा जो नियम 16 के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक मतदाता दो गैर-हस्तांतरणीय मतपत्रों का हकदार होगा, एक सरपंच के कार्यालय के लिए और दूसरा पंचों के कार्यालयों के लिए।

(23. मतपत्र ों की रिकॉर्डिंग की **प्रक्रिया होनी चाहिए**)- किसी निर्वाचक को मतपत्र देने से पहले, निर्वाचक नामावली में उल्लिखित उसकी संख्या, नाम और विवरण मंगाए जाएंगे और निर्वाचक नामावली की प्रति में निर्वाचक की संख्या के विरुद्ध एक चिह्न लगाया जाएगा ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसे मतपत्र प्राप्त हो गया है और साथ ही उसे जारी किए गए **मतपत्र** का क्रम क्रमांक मतदाता के विरुद्ध नोट किया जाएगा। मतदाता सूची में उनसे संबंधित प्रविष्टि।

"29. **मतदाता द्वारा मतपत्र की वापसी।**(1) यदि कोई मतदाता अपना मत दर्ज करने के प्रयोजन से कोई मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका उपयोग न करने का निश्चय करता है, तो वह मतपत्र पीठासीन अधिकारी को लौटा देगा और इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र को रद्द चिह्नित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए एक अलग पैकेट में रखा जाएगा और ऐसे सभी मतपत्रों का रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(2) यदि किसी मतदाता को अपना मत दर्ज करने के उद्देश्य से जारी किया गया कोई मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला गया है, बल्कि मतदाता द्वारा मतदान केंद्र या मतदान कक्ष में छोड़ दिया गया है, तो उसे रद्द माना जाएगा और उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा जैसे कि इसे पीठासीन अधिकारी को लौटा दिया गया हो।

"35. **वापसी की तैयारी**- जब मतों की गिनती पूरी हो गई है और परिणाम नियम 31 या 32 के तहत घोषित किया गया है, जैसा भी मामला हो, पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, तुरंत दो रिटर्न तैयार करेगा, एक सरपंच के चुनाव के लिए और दूसरा पंचों के चुनाव के लिए, दिखा रहा है:-

(i) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम;

(ii) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दिए गए वैध वोटों की संख्या;

(iii) निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवार (ओं) का नाम; और

(iv) निर्वाचित माने जाने वाले उम्मीदवार (उम्मीदवारों) का नाम ;

और इन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवार (ओं) के नाम के साथ रिटर्न की एक प्रति उपायुक्त को तुरंत अग्रेषित करेगा।

"43. इन नियमों की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी- यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, जो वास्तव में प्रस्तुत किए गए चुनाव प्रचार के संबंध में है, तो इसे इच्छुक व्यक्ति या आधिकारिक संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्णय **के लिए**डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। उपायुक्त, यदि वह उचित समझते हैं, तो इसे राज्य सरकार को भेज सकते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(13) अधिनियम और नियमों, विशेषकर धारा 5 और नियम 6 से 13, 18, 21, 23, 29 और 35 के संबंध में हम पाते हैं कि केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र या सीट का कोई आरक्षण नहीं है। धारा 5 की उपधारा (4) के परंतुक (ग) में कहा गया है कि यदि सफल उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या में अनुसूचित जातियों के एक या दो सदस्य शामिल नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार या उम्मीदवार, जो इस मामले में हों, स्वयं जीएसटी से सबसे अधिक वोट प्राप्त कर सकते हैं। माना जाएगा कि उन्हें अंतिम, या अंतिम दो पंचों के रूप में चुना गया है। यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के अपेक्षित संख्या में सदस्य धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (डी) के आधार पर उक्त तरीके से नहीं चुने जाते हैं, तो निर्धारित प्राधिकारी को ऐसी जातियों के विधिवत योग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित करके कमी को पूरा करना होगा। अत, ऊपर उल्लिखित धारा 5 की उपधारा (4) के परंतुक (ग) और (घ) में यह प्रावधान है कि कम से कम एक या दो अनुसूचित जाति के पंच होने चाहिए न कि केवल एक या दो अनुसूचित जाति के पंच हो सकते हैं और अधिक नहीं।   ।

(14) हमारा ध्यान नियम 6(3) और नियम 7 की ओर दिलाया गया जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने और जमा करने का प्रावधान है। जब भी कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति केउम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कॉलम में नामांकन पत्र में यह बताना होता है और यह घोषणा भी दर्ज करनी होती है कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, जैसा किनियम 6 (3) में प्रावधान किया गया है। नियम 7 के तहत जबकि अनुसूचित जाति के अलावा अन्य उम्मीदवारों को फिया जमा करना होगा। 50, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को केवल 20 रुपये जमा करने होंगे। उपरोक्त से। यह तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शेष कैंडी तिथियों से एक अलग वर्ग बनाते हैं और इसलिए, एक या दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुना जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और इससे यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि कम से कम एक सीट या दो सीटों का आरक्षण है, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। हम नियमों की इस व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं। नियम 6 (3) में केवल यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, यदि वह अनुसूचित जाति के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार नामांकन पत्र दाखिल करना होगा और निर्दिष्ट अधिकारी /व्यक्तियों द्वारा विधिवत सत्यापित एक घोषणा भी संलग्न करनी होगी और उन्हें कम राशि जमा करने में रियायत दी गई है। जैसा भी मामला हो। इन नियमों को जब धारा 5(4), परंतुक (ग) और (घ) के साथ पढ़ा जाता है, तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति के कम से कम एक या दो पंच होने चाहिए, जैसा भी मामला हो, न कि अधिकतम भी निर्धारित है। यह धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (सी) और (डी) को पढ़ने से बहुत स्पष्ट है, जो दर्शाता है कि यदि सफल उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या में अनुसूचित जातियों के एक या दो सदस्य शामिल नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की ऐसी संख्या को चुना जाना चाहिए जिन्होंने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट हासिल किए हों और यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुनाव न लड़ता हो। चुनाव के बाद, अनुसूचित जाति के पंचों की अपेक्षित संख्या को धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक (डी) के तहत नामित किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यूनतम सीमा तय की गई है और अधिकतम नहीं। यदि सफल उम्मीदवारों की सभी आवश्यक संख्या अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जाति की तारीखों की अपेक्षित संख्या से अधिक शामिल हैं, तो परंतुक (सी) और (डी) लागू नहीं होंगे।

(15) उपर्युक्त निष्कर्ष को सी.डब्ल्यू.पी. के तथ्यों से और अधिक समर्थन मिलेगा। 1983 की संख्या 3355। वहां मैदान में जो छह उम्मीदवार बचे थे, वे सभी-अनुसूचित जाति के थे, हालांकि तीन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के रूप में घोषणा की और 20 रुपये की जमानत राशि जमा की थी; जबकि शेष तीन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होने की कोई घोषणा दायर नहीं की और 50 रुपये की पूरी राशि जमा की। एक और उदाहरण यहां देखा जाएगा। यदि किसी दिए गए मामले में, पांच पंच चुने जाने हैं, जिनमें से न्यूनतम एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है, जिसने घोषणा पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन दाखिल किया है और 20 रुपये की रियायती जमा राशि है। एक और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने अनुसूचित जाति के रूप में नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया क्योंकि उसने घोषणा पत्र जमा नहीं किया और 20 रुपये की रियायती जमा करने के बजाय,

50 रुपये की पूरी जमा की। मतदान के बाद, परिणाम तैयार किया जाता है और यह पाया जाता है कि जिन चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिले हैं, वे अनुसूचित जाति के नहीं हैं और पांचवां स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसने यह घोषणा करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है कि वह अनुसूचित जाति है और जिसने 20 रुपये की रियायती जमा राशि नहीं की है और अनुसूचित द्वारा 6 वां या अंतिम स्थान प्राप्त किया गया है। जाति के उम्मीदवार जिन्होंने घोषणा पत्र जमा करने के बाद नोमी नेशन पेपर दाखिल किया था और जिन्होंने 20 रुपये की रियायती जमा की थी। धारा 5(4) के परंतुक (ग) के अनुसार, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और जिन्होंने 6 वां या अंतिम स्थान प्राप्त किया था, उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाएगा, न कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को जिसने 5 वां स्थान प्राप्त किया क्योंकि उसने अधिनियम और नियमों के तहत अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ा था। निस्संदेह, यदि 5 वां स्थान प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने पहले स्थान पर से कोई एक अंक प्राप्त किया होता तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता और दूसरे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 5 वें स्थान पर निर्वाचित घोषित किया जाता। इसलिए, उपरोक्त उदाहरण एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के **लिए** रियायती जमा करने के नियम 7 का लाभ उठाते हुए सुले 6 (3) के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने के प्रभाव को दर्शाता है, जो नियम 7 के तहत अपनी जाति को प्रदान की गई रियायत का लाभ नहीं उठाता है।

(16) इसलिए, अधिनियम और नियमों के अनुसार, एस का मानना है कि कानून में अनुसूचित जाति के एक या दो पंचों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान है, जैसा भी मामला हो, यदि सफल पंचों की अपेक्षित संख्या में पंचों की संख्या से अधिक शामिल हैं।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या तो ऐसे अनुसूचित जाति का चुनावमान्य होगा।

(17) यह हमें पहले प्रश्न के दूसरे भाग पर विचार करने के लिए लाता है कि क्या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की **तुलना** में अनुसूचितजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग चुनाव की परिकल्पना की गई है ? धारा 5(2) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत केहॉल में सरपंच सहित पंचों की इतनी संख्या होगी, जैसा कि सरकार निर्धारित करे, लेकिन वे पांच या नौ से अधिक नहीं होंगे। धारा 5 (4) एक गुप्त मतदान द्वारा चुनाव और निर्धारित तरीके से प्रत्यक्ष मतदान के लिए निर्धारित करती है। जिनलोगों को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उन्हें निर्वाचित माना जाता है। नियम 3 में चुनाव कार्यक्रम का प्रावधान है; उम्मीदवारों के नामांकन के लिए नियम 6; उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए नियम 10 और नामांकन पत्रों की सूची के लिए नियम 11 नियम 12 (1) में कहा गया है कि यदि वैध नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर या कम है, तो निर्वाचन अधिकारी उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा। यदि नियम 12 के उप-नियम (1) के तहत घोषित कैंडी तिथियां उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या से कम हैं, तो उप-नियम (2) के तहत अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान किए गए तरीके से भरी जाने वाली खाली सीटों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। नियम 13 में उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या से अधिक होने पर चुनाव का प्रावधान है नियम 18 में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग मतपेटियां लगाने का प्रावधान है। नियम 21 में मतपत्र से मतदान का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक निर्वाचक दो गैर-अंतरणीयई मतपत्रों का हकदार होगा, एक सरपंच के कार्यालय के लिए और दूसरा पंचों के कार्यालयों के लिए। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि पंच ों के पदों के लिए किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है। नियम 10, 12, 13, 18 और 21 के साथ पढ़ी गई धारा 5 (4) से पता चलता है कि पंचों की पूरी चुनाव प्रक्रिया एक है और यदि नामांकन पत्र चुने जाने वाले पंचों की संख्या से अधिक हैं, तो नियम 10 के तहत प्रदान की गई चुनाव की प्रक्रिया कापालन किया जाना चाहिए। अलग मतपेटियां आदि प्रदान करना। यदि कानून निर्माताओं का इरादा होता कि अनुसूचित जाति के पंचों का चुनाव गैर-अनुसूचित जाति के पंचों के चुनाव से अलग होना है, तो नियम 21 को अलग तरीके से लिखा गया होता। इसमें यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया होगा कि पंचों के पदों के चुनाव के लिए, प्रत्येक निर्वाचक दो गैर-हस्तांतरणीय मतपत्रों का हकदार होगा - एक गैर-अनुसूचित जाति के पक्ष में डाला जाएगा।
पंच और दूसरा अनुसूचित जाति पंच के पक्ष में। इससे इस निष्कर्ष को और बल मिलता है कि पंचों के कार्यालयों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया अविभाज्य है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के एक या दो पंच, जैसा भी मामला हो, चुने जाने हैं। वे अपेक्षित संख्या से अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए, यदि कुल नामांकन पत्र, चाहे वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के हों या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के, सीटों की अपेक्षित संख्या से अधिक हैं, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। निर्वाचन अधिकारी, जो एक पंच या दो पंचों को निर्विरोध चुनाव के बिना अनुसूचित जाति के उम्मीदवार घोषित करते हैं, जब एक या दो अनुसूचित जाति के पंच मैदान में रह जाते हैं, जैसा भी मामला हो, स्पष्ट रूप से

अनियमितता की है। इसी प्रकार निर्वाचन अधिकारियों की कार्रवाई, जिन्होंने शेष गैर-अनुसूचित जाति के पंचों को चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया क्योंकि गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उन सीटों से अधिक नहीं थे, जो उनके पास जाने के लिए निर्धारित की गई थीं, भी स्पष्ट रूप से अवैध थी। नियम 13 के अनुसार, उम्मीदवारों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों या गैर-अनुसूचित जातियों के लिए सीटों पर आवंटित किए बिना देखी जानी है। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग का उत्तर इस आशय से दिया गया है कि पूरा चुनाव एक है और यदि दोनों श्रेणियों के सामूहिक रूप से कुल संख्या सीटों की अपेक्षित संख्या से अधिक है, तो पूरी चुनावप्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और परिणाम घोषित करते समय यदि यह पाया जाता है कि एक या दो अनुसूचित जाति के पंचों सहित उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले पंचों की अपेक्षित संख्या, जैसा भी मामला हो, फिर सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिसंबर में निर्वाचित किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के एक या दो पंच, जैसा भी मामला हो, सफल उम्मीदवारों में नहीं आते हैं, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से, जिसने भी सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं, उसे अनुसूचित जाति के पंचों की न्यूनतम संख्या बनाने के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, तो अधिनियम कीधारा 5 (4) के परंतुक (डी) द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचों के पदों की अपेक्षित संख्या को राष्ट्रपति प्राधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए खाली छोड़ दिया जाना चाहिए।

(18) यह मानते हुए कि निर्वाचन अधिकारियों ने अनुसूचित जाति केउम्मीदवारों या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने में गलती की है, जैसा भी मामला हो, चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरना, अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या
यह अवैधता, चुनाव याचिका में हस्तक्षेप हो सकता है? अधिनियम की धारा 13-0 मेंचुनाव को रद्द करने के लिए आधार प्रदान किया गया है। उस धारा को पढ़ने से पता चलेगा कि उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) इन तथ्यों से आकर्षित नहीं होंगे। इसका खण्ड (घ) भी इन तथ्यों पर लागू नहीं होगा। सुश्री मधु तेवतिया नेबहुत ही कुशलता पूर्वक तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्य खंड (सी) के समान होंगे, अर्थात्, एक चुनाव याचिका सक्षम होगी यदि नामांकन पत्र अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वही परिणाम होगा जहां अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव से गुजरे बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था क्योंकि चुनाव में उनकी गैर-भागीदारी ने उन उम्मीदवारों के चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावितकिया, जो अन्य उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद मैदान में रह गए थे। इस तर्क को उजागर करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से माना गया है कि नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति के मामले में,घोषित उम्मीदवारों की स्थिति प्रभावित होती है और पूरे चुनाव को रद्द करना पड़ता है और नए चुनाव का आदेश दिया जाता है। उनके अनुसार, एक ही परिणाम का पालन किया जाएगा। इन मामलों में क्योंकि जब अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों या गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी और शेष उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराया गया था, तो चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों की गैर-भागीदारी से चुनाव का परिणाम कैसे प्रभावित होता है, जिन्हें निर्विरोध

निर्वाचित घोषित किया गया था।ईडी, सटीक रूप से कहा या ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति के मामले में कहा या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमें इस दलील में काफी दम नजर आता है जो विभिन्न मामलों में हमारे समक्ष पेश हुए कई वकीलों में से केवल उनके द्वारा हमारे समक्ष रखी गई थी। जैसा कि हमने पहले ही माना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया एक है और यदि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवार भी चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, तो उनके पक्ष में डाले गए वोट शेष उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए थे, जिनके बीच चुनाव हुआ था। यह कल्पना करना असंभव है कि जिन उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गयाथा और जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, यदि वे भी चुनाव प्रचार में शामिल हो गए होते, तो परिणाम क्या होता? नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के मामले में भी यही स्थिति है। निर्विवाद रूप से जब भी यह माना जाता है कि नामांकन पत्रों की खरीद अनुचित थी, तो पूरे चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित माना जाता है और इसे रद्द कर दिया जाता है और नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया जाता है। इसलिए, इसे तथ्यों के आधार पर रखा जाना चाहिए।

वर्तमान मामलों में जहां भी कुछ उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, वहां चुनाव का परिणाम **वास्तविक** रूप से प्रभावित हुआ है और चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया जा सकता है।

(19) कुछ ही सेकंड के प्रश्न के बाद छापा मारने से पता चलता है कि यदि किसी नियम के तहत निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, चुनाव में शामिल किसी भी उम्मीदवार, मतदाता या चुनाव से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को इसकी व्याख्या के बारे में कोई संदेह है, तो मामले को ऐसे इच्छुक व्यक्ति या संबंधित अधिकारी द्वारा उपायुक्त के पास भेजा जा सकता है। यदि उपायुक्त अपनी राय देने के लिए बाध्य है, तो वह ऐसा करेगा; और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो वह मामले को राज्य सरकार को उसकी राय के लिए भेज सकता है। ऊपर देखे गए सभी मामलों के तथ्यों से पता चलता है कि विभिन्न रिटर्निंग अधिकारियों ने नियमों के बारे में गंभीर विचार किए और उनमें से किसी ने भी, न ही किसी उम्मीदवार या मतदाता ने किसी भी प्रासंगिक समय पर उपायुक्त की राय मांगी, और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी गई और परिणाम घोषित किए गए। उदाहरण के लिए, यदि किसी दिए गए मामले में, रिटर्निंग अधिकारी पाता है कि कम से कम एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को चुना जाना था और केवल एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो क्या उसे चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है; और यदि उसे इसके बारे में कोई जानकारी थी, वह ऐसा करने से पहले उपायुक्त की राय ले सकता है। इसी तरह, जहां एक निर्वाचन अधिकारी की राय थी कि एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को चुना जाना था और केवल चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बचे थे और यदि उन्हें संदेह था कि क्या उन चार गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया का पालन किए बिना निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, तो वह उपायुक्त की राय ले सकता है। यह नियम केवल इस सीमित सीमा तक है और उपायुक्त के को नियम 43 के तहत चुनाव समर्थक उपकर पूरा होने के बाद आदेश पारित करने के लिए किसी भी अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं रखा गयाहै। नियम 43 के तहत उपायुक्त को नियमों की व्याख्या करने के लिए एक बहुत ही सीमित अधिकार क्षेत्र निहित किया गया है, यदि किसी इच्छुक व्यक्ति या संबंधित अधिकारी को व्याख्या का संदेह है, लेकिन विशिष्ट मामलों के संबंध में निर्णय लेने या आदेश पारित करने के लिए नहीं, और पहले से घोषित चुनाव के परिणामों को संशोधित, संशोधित या रद्द करने के लिए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, नियम 35 और अन्य संबद्ध नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5 (4) के अनुसरण में, चुनाव पत्र डिप्टी को भेज दिए जाते हैं।

नियम 36 के तहत आयुक्त, जिसे डिप्टी कमिश्नर द्वारानियम 37 के तहत चुनाव की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक या चुनाव याचिका के समापन तक, जो भी बाद में हो, अपनी हिरासत में रखा जाता है। यहां तक कि अगर परिणाम की घोषणा के बाद, कुछ इच्छुक व्यक्ति नियमों की व्याख्या के बारे में अपनी राय के लिए उपायुक्त के पास जाते हैं, तो उपायुक्त केवल अपनी राय देते हैं और संबंधित व्यक्ति कानून में उनके लिए जो भी कार्रवाई करने की अनुमति है, वह कर सकते हैं, अर्थात्, उस आधार पर चुनाव याचिका दायर करने के लिए, लेकिन उपायुक्त को नियम 43 के तहत पारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया था। अलग-अलग मामलों में गुण-दोष के आधार पर और चुनाव परिणामों को उलटने, संशोधित करने या बदलने के लिए आदेश। यह केवल निर्धारित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका में किया जा सकता है और किसी और के द्वारा नहीं। तदनुसार, हम प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नकारात्मक में देते हैं और मानते हैं कि न तोउपायुक्त, न ही राज्य सरकार के पास नियमों के नियम 43 के तहत रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित चुनाव परिणामों के साथ पूरी तरह से या आंशिक रूप से छेड़छाड़ करने की शक्ति है। इसलिए विभिन्न उपायुक्तों द्वारा पारित आदेश या तो चुनाव को अमान्य घोषित करते हैं या हारे हुए उम्मीदवारों को निर्वाचित और निर्वाचित उम्मीदवारों को पराजित घोषित करके चुनाव परिणामों को बदलते हैं, स्पष्ट रूप से अवैध और उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक हैं।

(20) यह हमें तीसरे और अंतिम प्रश्न पर लाता है, अर्थात्, यह मानते हुए कि किसी दिए गए मामले में चुनाव अवैध था या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की गलत घोषणा की गई थी, क्या ऐसे चुनाव को रिट कार्यवाही में रद्द किया जा सकता है जोचुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि से परे है? यह **उमराव सिंह** और **अन्य बनाम अन्य** में आयोजित किया गया है। **मेहर चंद और अन्य** (1) ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने का उचित उपाय सीमा की अवधि के भीतर चुनाव याचिका दायर करना है। यदि हारे हुए उम्मीदवार या मतदाता चुनाव परिणाम को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुनते हैं और इसे अंतिम बनने की अनुमति देते हैं, तो सीमा की समाप्ति के बाद, पीड़ित व्यक्ति के लिए चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि से परे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती देना खुला नहीं होगा। इसलिए, जहां भी हारे हुए उम्मीदवार (सभी रिट याचिकाएं या तो उन उम्मीदवारों द्वारा दायर की जाती हैं जिन्हें मूल रूप से पराजित घोषित किया गया है या उन लोगों द्वारा जिन्हें मूल रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है, लेकिन जिनके चुनाव को उपायुक्त द्वारा नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया गया था) जिन्हें चुनाव में पराजित दिखाया गया था।

(1) 1981 पी.एल.जे.

चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की समाप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल चुनाव परिणाम इस न्यायालय में आए हैं, वे इस न्यायालय से किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे। तथापि* उपयुक्त मामलों में, रिट याचिकाओं पर निर्वाचन याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर विचार किया जा सकता है और संबंधित पक्ष को चुनाव याचिका के लिए प्रेरित करने के बजाय रिट क्षेत्राधिकार में राहत दी जा सकती है।

(21) जैसा कि फैसले के शुरुआती भाग में पहले ही देखा जा चुका है, अलग-अलग रिटर्निंग अधिकारियों ने नियमों को अलग-अलग तरीके से पढ़ा है और अलग-अलगनिर्धारित प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अलग-अलग व्याख्या से बचने के लिए, जिनके समक्ष चुनाव याचिकाएं दायर की जानी थीं, हमइन रिट याचिकाओं में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 के संबंध में हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न नियमों की व्याख्या और चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3284 की अनुमति दी जाती है और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया जाता है और 15 उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। जोइस निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार, पंचों के पदों के लिए मैदान में छोड़ दिया गया है।

(22) 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3611 और 3509, जो हारे हुए उम्मीदवारों द्वाराई-कन्फेक्शन याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि से परे दायर किए गए थे, को खारिज किया जाता है।

(23) 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3653 और 3960 को अनुमति दी जाती है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की समाप्ति के बाद नियमों के नियम 43 के तहत पारित उपायुक्तों के आदेशों को रद्दकर दिया जाता है और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित चुनाव परिणाम बरकरार रहते हैं क्योंकि सीमा की अवधि के भीतर किसी भी हारे हुए उम्मीदवार द्वारा कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई थी।

(24) 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3355 और 3403 केतथ्य 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3284 के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि चुनाव या तो गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तक ही सीमित था। 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3284 की **तुलना** में इन दो रिट याचिकाओं में एकमात्र अंतर यह है कि इससे पहले कि हारे हुए उम्मीदवार सीमा की अवधि के भीतर चुनाव याचिका दायर कर सकें या उस अवधि के भीतर इस न्यायालय में आ सकें, उपायुक्त ने हस्तक्षेप किया और नियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचों के पूरे चुनाव को रद्द कर दिया और उन सभी उम्मीदवारों के बीच नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया जो मैदान में बचे हैं।

पंचों के कार्यालयों के लिए नाम वापसी के बाद। डिप्टी कमिश्नर नेचुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर आदेश पारित किए। यदि उन्होंने सीमा की अवधि से परे आदेश पारित किए होते, तो इन रिट याचिकाओं को भी अनुमति दी जाती क्योंकि हमने 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3563 और 396 क्यू की अनुमति दी है, लेकिन यहां उपायुक्त ने सीमा की अवधि के भीतर आदेश पारित किए हैं और पूरे चुनाव को रद्द कर दिया है। उपायुक्त द्वारा इन आदेशों को पारित करने के बाद, पराजित उम्मीदवारों से इस न्यायालय में चुनाव याचिका या रिट याचिका दायर करने का अधिकार छीन लिया गया था, क्योंकि उपायुक्त द्वारा आदेश पारित करने के बाद वे अब व्यथित नहीं थे। यद्यपि उपायुक्त कोनियम 43 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था, और उस हद तक उनके आदेश अवैध हैं, लेकिन हम रिट ज्यूरी डिक्शन में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं हैंक्योंकि डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है वह सही दृष्टिकोण है जो हमने 1983 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3284 के बारे में लिया है। यहां तक कि अगर हम उपायुक्त के आदेशों को रद्द कर देते, क्योंकि वे आदेश चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर पारित किए गए थे, तो हम पूरे चुनाव परिणाम को इस निर्देश के साथ भी रद्द कर देते कि पंचों के पदों के लिए नाम वापस लेने के बाद मैदान में छोड़ दिए गए उम्मीदवारों के बीच नए सिरे से चुनाव कराया जाए। चूंकि दोनों घटनाओं मेंपरिणाम समान है, इसलिए, हमइन रिट याचिकाओं (1983 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3355 और 3403) में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, जिन्हें खारिज किया जाता है।

(25) 1983 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3665 खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि प्रश्न संख्या 1 के तहत दिए गए उत्तर के अनुसार, कम से कम एक अनुसूचित जाति पंच होना चाहिए और चूंकि दोनों अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों कोसबसे अधिक वोट मिले, इसलिए केवल तीन और गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है क्योंकि पांच पंच होने थे। यद्यपि उपायुक्त के पास नियम 43 के तहत चुनाव परिणाम को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसा कि हमारे द्वारा प्रश्न संख्या 2 के तहत कहा गया था, लेकिन चूंकि उन्होंने चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर आदेश पारित किए और गुण-दोष पर उनका आदेश सही है, इसलिए हम रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यहां तक कि अगर हम उपायुक्त के आदेश को रद्द कर देते, तो हम अपने आदेश को बदल देते और यह मानते कि 374 और 295 वोट पाने वाले दोनों अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाना चाहिए, इसके अलावा तीन गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को जिन्होंने 24, 18 और 12 वोट हासिल किए; और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का उम्मीदवार जिसने आईक्यू वोट हासिल किए। पराजित घोषित किया जाना था। इसलिए इस रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

(26) 1983 के सीड्ब्ल्यूपी संख्या 3542 और 3862 के तथ्य 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3665 के समान हैं। इसलिए, 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3665 के संबंध में पिछले पैराग्राफ में दिए गए कारणों के लिए, इन दोनों रिट याचिकाओं (1983 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3542 और 3862) को भी इस परिणाम के साथ खारिज कर दिया जाता है कि 1983 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3542 में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जिन्होंने 69 वोट हासिल किए थे, उन्हें सही तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया था और 4 वीं जाति के उम्मीदवार को सही तरीके से हराया गया था। जिन उम्मीदवारों को 170, 138, 106, 99 और 64 वोट मिले, उन्हें सही तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया और 52 वोट पाने वाले उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा।

(27) प्रश्न संख्या 1 पर हमारे द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए 1983 का सीडब्ल्यूपी संख्या 3420 खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में दो न्यूनतम अनुसूचित जाति के पंच होने चाहिए थे न कि दो। निर्वाचन अधिकारी ने सबसे पहले अनुसूचित जाति केदो उम्मीदवारों के साथ-साथ चार गैर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया तैयार की। चौथे गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 112 वोट मिले थे, जबकि तीसरे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 135 वोट मिले थे। उसी दिन निर्वाचन अधिकारी ने एक नया चुनाव परिणाम तैयार किया और उसे उपायुक्त को भेज दिया जिसमें 135 मत पाने वाले तृतीय अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को निर्वाचित और 112 मत प्राप्त करने वाले गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को दर्शायागया। जब जुलाई, 1983 के मध्य में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो तीसरी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को शपथ दिलाई गई, न कि गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को, जिसे 112 वोट मिले थे। इससे उन्हें चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की कार्रवाई का कारण मिला। यह सच है कि रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम घोषित करने के बाद परिणाम नहीं बदल सकते थे, लेकिन उनके द्वारा तैयार किया गया ताजा परिणाम हमारे निर्णय के अनुसार है। यहां तक कि अगर हम उनके द्वारा तैयार किए गए दूसरे परिणाम को भी अलग कर देते, तो हम पहले परिणाम को भी दरकिनार कर देते और 112 से अधिक वोट पाने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देते। अंततः परिणाम यह होता कि अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवार, जिनमें 135 मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी शामिल होते, को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता और 112 मत प्राप्त करने वाले गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता। इसलिए, हम इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

(28) चूंकि जटिल प्रश्न शामिल थे, इसलिए हम पार्टियों को अपनी लागत ों को वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

एन.के., **एस,**

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और

कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा